



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 अगस्त, 2020

श्रावण 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 840/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(135)-2020

लखनऊ, 7 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०-190

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं०-क०नि०-2-983/ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र०एक्ट-1-2017-आदेश-(42)-2019 दिनांक 2 जुलाई, 2019 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय पैरा में, प्रथम परंतुक में, अंक, अक्षर और शब्द "15 जुलाई, 2020" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 अगस्त, 2020" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 840/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(135)-2020, dated August 7, 2020 :

No. 840/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(135)-2020

Dated Lucknow, August 7, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 148A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Notification no. KA.NI.-2-983/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(42)-2019, dated July 2, 2019, namely :-

IN the said notification, in the third paragraph, in the first proviso, *for* the figures, letters and words "15th day of July, 2020", the figures, letters and words "31st day of August, 2020" shall be *substituted*.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.